



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 804) पटना, शुक्रवार, 17 जुलाई 2026

सं० B1-3-141 / 2025-4017
निर्वाचन विभाग

संकल्प
16 जुलाई, 2026

विषय:— भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-23/ERO-AERO/HON//2025-ERS दिनांक-02.08.2025 के आलोक में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण एवं तैयारी में सहयोग एवं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किये जाने के फलस्वरूप प्रत्येक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को वार्षिक मानदेय की राशि ₹30,000/- की दर से निर्धारित किये जाने पर राज्य में वर्तमान में कुल 243 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के मानदेय भुगतान हेतु वार्षिक कुल ₹72,90,000/- (बहतर लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र व्यय एवं भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण एवं तैयारी में सहयोग एवं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने के फलस्वरूप निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को वार्षिक मानदेय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-23/ERO-AERO/HON//2025-ERS दिनांक-02.08.2025 के आलोक में प्रत्येक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के लिये स्वीकृत वार्षिक मानदेय की राशि ₹30,000/- की दर से प्रति वर्ष मानदेय के रूप में दिये जाने का निदेश है। निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण का कार्य प्रत्येक वर्ष चलने वाला है।
3. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-23/ERO-AERO/HON//2025-ERS दिनांक 02.08.2025 के आलोक में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों द्वारा निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण एवं तैयारी में सहयोग एवं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किये जाने के फलस्वरूप प्रत्येक निर्वाचक निबंधन

पदाधिकारी को वार्षिक मानदेय की राशि ₹30,000/- की दर से निर्धारित किये जाने पर राज्य में वर्तमान में कुल 243 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के मानदेय भुगतान हेतु वार्षिक कुल ₹72,90,000/- (बहत्तर लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र व्यय एवं भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के मानदेय भुगतान पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। यह योजना भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा दी गयी मंजूरी की तिथि 02.08.2025 से प्रभावी होगा।
5. उक्त राशि का व्यय मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण, उप शीर्ष-0001-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, विषय शीर्ष 13.01 कार्यालय व्यय, मांग संख्या-06 एवं विपत्र कोड संख्या-06-2015001030001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा। वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-4 के अनुसार यह योजना, आवर्ती व्यय की प्रकृति का है अर्थात् साल-दर-साल चलने वाला है।
6. संकल्पित कंडिका-3 पर दिनांक-30.06.2026 को लोक वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-668/लो०वि० दिनांक-30.06.2026 द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।
7. संकल्पित कंडिका-3 पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही दिनांक-08.07.2026 के मद संख्या-16 द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
विनोद सिंह गुंजियाल,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 804-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>